निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 169/2014
दायरा दिनांकः–08.10.2004
निर्णय दिनांकः– 1.7.24

उनवान

1. सुगनचन्द आयु 54 वर्ष आत्मज अमरलाल जाति जाटव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील छबडा जिला बारां।

बनाम

1. बाबूलाल आयु 55 वर्ष आत्मज किशनलाल
2. कन्हैयालाल आयु 50 वर्ष आत्मज किशनलाल
3. हुकमचन्द आयु 53 वर्ष आत्मज किशनलाल जातियान जाटव निवासीगण महेशपुरा तहसील छबडा जिला बारां।
4. राधेश्याम आयु 38 वर्ष आत्मज शंकरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 1-7-24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री बालमुकन्द खण्डेलवाल – वादी
2. श्री राकेश सोनी – प्रतिवादी
3. श्री राजेश भार्गव – प्रतिवादी 1–2
4. श्री हेमन्त पारिक – प्रतिवादी 4

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88,89,91,92ए,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पूर्वज भुरा पुत्र फुन्दी कौम चमार निवासी महेशपुरा के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा खसरा नम्बर 46 रकबा 06 बीघा वाके माल हनुवतखेडा चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है। जिसकी नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 संलग्न वाद पत्र है। उपरोक्त [illegible] को वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। [illegible] के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य [illegible] तथा विवादग्रस्त आराजी पैत्रिक आराजी है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 [illegible] 1/2 हिस्सा है विवादग्रस्त आराजी वादी के पिताजी अ[illegible]लाल व प्रतिवादीगण [illegible] दाजी भूरालाल जी दोनो सगे भाई थे। जो जीवन पर्यनत संयुक्त परिवार में रहकर विवादग्रस्त आराजी को संयुक्त काश्त कर अपने परिवार का भरण–पोषण करतें रहे। विवादग्रस्त आराजी में वादी अपने पिता अमरलाल एवं दादाजी फुन्दीलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जीवनकाल से करीब 150 वर्षो से काबिज है एवं काश्त करता चला आ रहा है उक्त आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा के 1/2 हिस्से करीब 04 बीघा पर वादी पूर्वी दिशा की ओर पैत्रिक आराजी होने के कारण आज भी बहैसियत खातेदार काबिज है एवं काश्त करता चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से उक्त आराजी के संबंध में मौखिक रूप से पारिवारिक बंटवारा करके खसरा नम्बर 38 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा आराजी में से 04 बीघा कृषि आराजी वादी के स्वामित्व एवं कब्जे की होना स्वीकार कर प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 ने प्रतिवादी क्रम 3 की सहमति से वादी के पक्ष में दिनांक 25.10.2004 को शपथ पत्र निष्पादित कर शपथ आयुक्त से तस्दीक करवाए गए। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने स्वेच्छापूर्वक निष्पादित शपथ पत्रों में विवादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होना स्वीकार कर वादी के पिताजी अमरलाल जी का हिस्सा होना मानतें हुए खसरा नम्बर 38 की लगभग 04 बीघा आराजी को वादी के स्वामित्व की होना स्वीकार करतें हुए वादी को पारिवारिक मौखिक बंटवारे के अनुसार विवादग्रस्त आराजी के पूर्वी हिस्से पर वादी का कब्जा पिछले करीब 150 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से कब्जा स्वीकार करते हुए शपथ पत्र निष्पादित किए है जिसके अनुसार वादी काबिज है एवं काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम 3 तहसील छबडा में पटवारी के पद पर नियुक्त था और उसने जानबुझकर फोती इंतकाल में वादी से वंको वैध अधिकारो से वंचित करने के उद्देश्य से वादी एवं वादी के भाई छीतरलाल का नाम की राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठि नही की और समस्त आराजी स्वंय प्रतिवादीगण 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज कर ली। इस कारण प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में खोले गए इंतकाल के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हुआ है इस कारण प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा खोला गया इंतकाल खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा राजस्व अभिलेख में फोती इंतकाल तस्दीक करतें समय अमरलाल के वारिसान का नाम जानबुझकर दर्ज नहीं करके प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज कर ली और प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 ने अपने खातेदारी अधिकारों का नाजायज फायदा उठातें हुए पारिवारिक बंटवारें में वादी को प्राप्त कृषि आराजी का बेचान कर दिया जो नल एंड वोईड है तथा वादी के हकों तक प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा दिनांक 25.10.2004 को विवादित आराजी में वादी के पिता अमरलाल का 1/2 हिस्सा मानतें हुए तथा उस पर प्रारंभ से ही वादी एवं वादी के पिता का कब्जा काश्त होने के कारण शपथ पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित किए है तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को यह जानकारी होते हुए भी उक्त वादी के कब्जे की आराजी के संबंध में शपथ पत्र निष्पादित किए जा चुके है तथा विवादग्रस्त आराजी पर वादी का स्वामित्व एवं आधिपत्य है के बाद भी जानबुझकर बेईमानीपूर्वक धोखे से वादी की भूमि को प्रतिवादी क्रम 4 को दिनांक [illegible] दिया है जो प्रारंभ से ही शून्य है। वादी के सगे भाई छीतरलाल [illegible] पिता की पुश्तैनी विवादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा [illegible] से ही तक [illegible] दिया गया था तथा प्रारंभ से ही विवादित आराजी के 1/2 [illegible] वादी बतौर स्वामी की हैसियत से काबिज काश्त है तथा छीतरलाल [illegible] शपथ पत्र के द्वारा वादी का कब्जा काश्त माना है इस कारण उक्त वाद में छीतरलाल को पक्षकार बनाए जाने की आवश्यकता नही है। वाद कारण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त पैत्रक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा में वादी के हक व अधिकार तथा कब्जे काश्त की 04 बीघा भूमि को भी प्रतिवादी क्रम 4 को दिनांक 23.09.2014 को बेचान करने पर उत्पन्न हुआ। भूमिधारी राजस्थान सरकार होने के कारण राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबडा को प्रतिवादी क्रम 5 बनाया गया है जिसे धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस जारी किया जा चुका है परन्तु प्रतिवादी क्रम 4 जबरन कब्जा करने पर आमादा है इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दावा धारा 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टार कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण क्रम 1,2 व 4 की ओर से जवाब दावा एवं प्रतिवादी क्रम 3 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2062–65 रिपोर्ट हल्का पटवारी चांचोडा दिनांक 28.12.2010 फोटो प्रति शपथ पत्र छीजर, बाबूलाल कन्हैयालाल, नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 153 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2014 नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070–73 नकल जमाबन्दी ग्राम महेशपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 41 नकल जमाबन्दी ग्राम महेशपुरा सम्वत 2073–76 पेश की गई। साक्ष्य वादी PW1 सुगनचन्द PW2 नन्दकिशोर के बयान कराये गये वकील प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल निर्णय दिनांक 08.04.2009 न्यायालय SDO छबडा नकल नामान्तरण संख्या 173 ग्राम हनुवतखेडा पेश की गई साक्ष्य प्रतिवादी में PW1 कन्हैयालाल PW2 बाबूलाल के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा एवं जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई। ::–

तनकी नम्बर 1 :– आया कि उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रक आराजी है जिसमें वादी को पारिवारिक बटवारे में खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा के हिस्से 1/2 यानि करीब 4 बीघा भूमि प्राप्त हुई जिस पर वादी बहैसियात खातेदार 150 वर्षो से काबिज है।

तनकी नम्बर 2 :– आया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा के हिस्सा 1/2 यानि 4 बीघा भूमि को अपने खातेदारी में दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है।

तनकी नम्बर 3 :– आया कि वादी को खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा में हिस्सा 1/2 लगभग 4 बीघा का खातेदार कृषक घोषित किया जावें

तनकी नम्बर 4 :– आया कि उक्त विवादित [illegible] प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दादा भूरालाल को ही तनहा [illegible] प्रतिवादी के दादा भूरालाल के फोत होने के बाद प्रतिवादी [illegible] 1 ता 3 ही [illegible]लाल के वैध वारिस होने से उनके खातेदारी में आई है [illegible] हक व अधिकार नही है

तनकी नम्बर 5 :– आया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बीघा खसरा नम्बर 46 रकबा 06 बीघा माल हनुवतखेडा मात्र प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की है पैत्रक आराजी है प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ही उक्त आराजी के खातेदार कृषक है जिस पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 लगभग अपने दादा के समय से ही अपने–अपने हिस्से पर काबिज है प्रतिवादीगण नेही उक्त भूमि को उन्नत बनाया कोट ट्युबवैल कराया।

तनकी नम्बर 6 :– आया कि उक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादी के हक व अधिकार बाबत पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्य 260/04 उनवान हुकमचन्द बनाम सुगनचन्द वगै0 निर्णय दिनांक 08.04.2009 को दिया जा चुका है वाद पर उसका क्या प्रभाव रहेगा।

तनकी नम्बर 7 :– आया उक्त वाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दादा भूरालाल के फोत होने से 1 ता 3 के खातेदारी में आई है प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से पारिवारिक बटवारा हो चुका है उक्त ग्राम हनुवतखेडा की आराजी प्रतिवादी क्रम 3 हुकमचन्द को बटवारे में प्राप्त हुई है तभी से प्रतिवादी क्रम 3 ही उक्त आराजी पर काबिज है व तनहा खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है।

तनकी नम्बर 8 :– आया कि ग्राम हनुवतखेडा की आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हिस्से को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद चुका है उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 4 अपना नाम दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है।

तनकी नम्बर 9 :– अनुतोष :–

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वादी वकील का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम महेशपुरा में स्थित है वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा है वादी के पिता अमरलाल एवं प्रतिवादीगण के दादा भूरालाल दोनो सगे भाई थे जो दोनो संयुक्त रहते थे विवादित आराजी पर वादी अपने दादा फुन्दीलाल के जीवन काल से काबिज काश्त चले आ रहे है जिसे लगभग 150 वर्ष हो गये है वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से विवादित आराजी का मौखिक पारिवारिक बंटवारा करके 4 बीघा आराजी वादी के कब्जे काश्त में तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने प्रतिवादी क्रम 3 की सहमति से वादी के पक्ष में दिनांक 25.10.2004 को शपथ पत्र निष्पादित का तस्दीक करवाया गया प्रतिवादी क्रम 3 तहसील छबडा में पटवारी के पद पर नियुक्त था। पटवारी होने के कारण जानबुझ कर फोती नामान्तरण में वादी के वैध अधिकार से वंचित कर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज कर ली उक्त खोले गये नामान्तरण के आधार पर जमाबन्दी में नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी क्रम 3 ने जानबुझकर अमरलाल के वारिसान का नाम दर्ज नही किया प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने अपने खातेदारी अधिकारों का नाजायज फायदा उठातें हुए वादी को प्राप्त हुई भूमि को बेचान दिनांक 23.09.2014 को कर दिया जो नल एण्ड वोईड है वादी के हकों तक प्रभाव शून्य है विवादित आराजी पैत्रक आराजी होने के कारण वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

को सहमति बंटवारे में प्राप्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषण कराने के अधिकार है वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का कथन है कि ग्राम हनुवतखेडा की आराजी प्रतिवादी क्रम 1, 2, व 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है वादी का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है हनुवतखेडा की आराजी वादी व उसके पिता अमरलाल का कभी कब्जा व हक अधिकार नही रहा वकील प्रतिवादी 3 का कथन है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दादा भूरालाल को विवादित आराजी एलोट हुई थी भूरालाल व अमरलाल दोनो शुरू से अलग–अलग रहते थे भूरा के देहान्त के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के फोती नामान्तरण से खातेदारी में दर्ज हुई तभी से प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य पारिवारिक सहमति के आधार पर बटवारा हो चुका है प्रतिवादी क्रम 3 के हिस्से में ग्राम हनुवतखेडा की भूमि 13.17 बीघा एवं ग्राम आंचोली की भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 6.03 बीघा में से 1/3 हिस्सा दक्षिण दिशा का आया बाबूलाल को आंचोली एवं कन्हैयालाल को महेशपुरा की भूमि हिस्से में आई इसी प्रकार प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा वादी के दादा फुन्दीलाल थे। जो ग्राम दादरपुर जिला भरतपुर के थे उनके लडके भूरालाल ग्राम दादरपुर छोडकर महेशपुरा में आ गये थे उन्होने ही भूमियात को काबिज काश्त बनाया जो भूरालाल की स्वंय की थी यह भूमि फुन्दीलाल की नही थी प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो महेशपुरा, आंचोली व हनुवतखेडा में स्थित है। जिसका पारिवारिक बटवारा दिनांक 13.05.1988 को किया गया था पारिवारिक बटवारे के आधार पर काबिज काश्त चले आ रहे है प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रतिवादी क्रम 4 को भूमि का बेचान कर दिया जो विक्रय पत्र पंजीयन कराया है जो प्रतिवादी क्रम 3 के हिस्से के विपरीत होने से धारा 52 टी.पी.एक्ट के अनुसार निरस्त योग्य है वादी का वाद खारिज किया जावे। प्रतिवादी क्रम 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी क्रम 4 का कथन है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी की थी प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि क्रय की है वादी उक्त भूमि को जबरन हडपना चाहता है वादी का प्रतिवादीगण की भूमि पर वादी द्वारा अपने बयान PW1 की जिरह में कहां है कि यह सही है कि उक्त विवादित आराजी मेरे दादा फुन्दीलाल के खाते में दर्ज हो ऐसा कोई दस्तावेज मेने अदालत में पेश नही किया।

प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा जये [illegible] विक्रय पत्र से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से खरीद की है वादी द्वारा रजिस्टर्ड [illegible] का नामान्तरण प्रतिवादी क्रम 4 के पक्ष में नही खुलने दिया [illegible] का वाद [illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:41 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान [illegible] गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया गया :–

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 के अनुसार उपभोक्ता के कॉलम नम्बर 4 में भूरा वल्द कुन्दी कोम चमार का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 153 में बाबू, हुकमचन्द,कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल जाति जाटव महेशपुरा दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम महेशपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 41 में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम महेशपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 18 में छीतर, सुजन पुत्र अमरा 1/2 बाबू हुकमचन्द, कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/4 धन्ना, रुपाल हिस्सा 1/3 रानी बाई, पन्नी बाई, विद्या बाई, पुत्रिया मूल्या हिस्सा 1/6 है इससे साबित होता है कि खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा वादी के खातेदारी में दर्ज नही वादी अपना हिस्सा 1/2 भूमि पर 50 वर्षो से काबिज काश्त होना साबित करने में विफल रहे है अतः तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा कब्जे काश्त ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिसमें वादी अपना कब्जा साबित कर सके। वादी किस आधार पर खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा में से 1/2 यानि 4 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार चाहता है वादी भूमि पर कब्जा साबित करने में विफल रहे है अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– तनकी नम्बर 2 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से इसमें विवेचन की आवश्यकता नही है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 153 में बाबू हुकमचन्द, कन्हैयालाल, पुत्र किशनलाल दर्ज है नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 100 में उपभोक्ता का नाम भूरा वल्द कुन्दी कोम चमार सा0देह महेशपुरा दर्ज रिकार्ड है प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित होता है कि विवादित आराजी भूरा के द्वारा काश्त की जाती थी तथा उनके खातेदारी में चली आ रही थी उनके मरने के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकार्ड चली आ रही है अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 153 में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2062–65 में भी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का नाम दर्ज है नकल खसरा गिरदवरी सम्वत् 2070–73 में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 कब्जा काश्त दर्ज है नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 100 में भूरा पुत्र कुन्दी कोम चमार के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विवादित भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दादा भूरा के खातेदारी में थी वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के शमलाती खातेदारी में दर्ज है प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी यह साबित होता है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का ही कब्जा काश्त है वादी द्वारा अपने बयान PW1 में बताया कि यह जमीन मेरे दादाजी फुन्दी के खाते की है वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

यह भी कहां है कि यह बात सही है कि उक्त विवादित आराजी मेरे दादा फुन्दीलाल के खाते में दर्ज है ऐसा कोई दस्तावेज मेने अदालत में पेश नही किया वादी द्वारा दादा के खातेदारी की भूमि का कोई दस्तावेज पेश नही किया ओर न ही पैत्रक संबंधी कोई रिकार्ड पेश किया गया विवादित आराजी प्रतिवादी के दादा भूरा के खातेदारी की है प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का विवादित आराजी पैत्रक आराजी है अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 6 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था नकल निर्णित दिनांक 08.04.2009 मु. नं. 260/2004 दावा बउनवान हुकमचन्द बनाम सुगनचन्द धारा 188 आर.टी.एक्ट में वादी का वाद स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि ग्राम हनुवतखेडा की आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा में वादी को शान्ति पूर्वक काश्त करने एवं जबरन कब्जा करने का प्रयास न करने हेतु पाबन्द किया गया उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित एक वाद पूर्व में वादी को पाबन्द करने हेतु पेश किया जा चुका ओर वादी पाबन्द किया जा चुका है फिर भी वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु दावा पेश किया है वादी का वाद चलने योग्य नही है अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 7 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी 3 पर था नकल नामान्तरण संख्या 173 ग्राम हनुवतखेडा दिनांक 26.10.1971 के अनुसार खातेदार भूरा फोत होने पर उसके वारिसान बेवा पत्नि सूरजी हिस्सा 1/2 एवं ग्यारसी बेवा किशनलाल बाबू हुकमचन्द कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल का नाम दर्ज हुआ पत्नि सूरजी बाई के फोत होने के बाद सम्पर्ण आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज हुई। प्रतिवादी 3 द्वारा हनुवतखेडा की उक्त आराजी पारिवारिक बंटवारे के आधार पर उसके हिस्से में आना बताया परन्तु इस संबंध में साक्ष्य/सबूत पेश नही किए जिससे उनका क्लेम साबित हो अतः यह तनकी प्रतिवादी नम्बर 3 हुकमचन्द के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 8 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 4 को था। नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2014 के अनुसार बाबू, कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी महेशपुरा द्वारा ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा कुल 2 किता रकबा 13.09 बीघा में हिस्सा 2/3 भाग प्रतिवादी क्रम 4 राधेश्याम पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा निवासी चांचोडा को 10,00,000/रू अक्षरे दस लाख रूपये में बेचान किया जाना पाया जाता है प्रतिवादी क्रम 4 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 4 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तनकियों के निर्णय से साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दादाजी भूरा खातेदारी की थी उनके फोत होने के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज हुई। वादी द्वारा पैत्रक सम्पत्ति होने का व फुन्दीलाल के खातेदारी में होने का ऐसा कोई ठोस दस्तावेज व सबूत पेश नही किया जिससें वादी का वाद स्वीकार किया जा सके। अतः वादी का वाद साक्ष्य/सबूतो के अभाव में खारिज किया जाता है। प्रतिवादी 3 ने पारिवारिक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बटवारे के साक्ष्य/सबूत पेश नही किये खसरा नम्बर38 में केवल प्रतिवादी 3 का हक नही माना जा सकता है शामलाती के समस्त खातों में सबका बराबर हक व हिस्सा है। अतः प्रतिवादी क्रम 3 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी क्रम 4 के पक्ष में किया गया बेचान वैध है प्रतिवादी क्रम 4 को वैध बेचान नामे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 3 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी क्रम 4 को ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा कुल 2 किता रकबा 13.09 बीघा में हिस्सा 2/3 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:41 IST
Reason: SelfAttested

C:\Users\Lenovo\Desktop\firoj all letter folder\Rambabu ji fesla file Dava.docx

....2

प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 169/2014	धारा 88,89,91,92ए,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 01.07.2024
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री बालमुकन्द खण्डेलवाल–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री राकेश सोनी	

वाद शीर्षक

1. सुगनचन्द आयु 54 वर्ष आत्मज अमरलाल जाति जाटव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील छबडा जिला बारां।

बनाम

1. बाबूलाल आयु 55 वर्ष आत्मज किशनलाल
2. कन्हैयालाल आयु 50 वर्ष आत्मज किशनलाल
3. हुकमचन्द आयु 53 वर्ष आत्मज किशनलाल जातियान जाटव निवासीगण महेशपुरा तहसील छबडा जिला बारां।
4. राधेश्याम आयु 38 वर्ष आत्मज शंकरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 3 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी क्रम 4 को ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 7.09 बीघा खसरा नम्बर 46 रकबा 6 बीघा कुल 2 किता रकबा 13.09 बीघा में हिस्सा 2/3 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ....को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:41 IST
Reason: SelfAttested